उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की स्थिति
समस्याएँ एवं समाधान

डिगर सिंह फर्स्वाण*

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा का सर्वोच्च स्थान होता है। उच्च शिक्षा का वास्तविक अर्थ है व्यक्तियों की उच्च शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा तथा ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा समाज और राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ एवं योग्य नागरिक तैयार किए जाते हैं। देश तथा समाज के समुचित विकास के लिए देश के नागरिकों को गुणवत्तायुक्त और उपयुक्त कौशलों के विकास की शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। उत्तराखण्ड जैसी विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा पहाड़ी राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जब तक राज्य में शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ सभी शैक्षिक संसाधनों, जैसे— पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पर्याप्त शिक्षक, शिक्षण सहायक संसाधनों, पेयजल, क्रीड़ास्थल, शौचालय तथा अन्य संसाधनों की समुचित व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक उच्च शिक्षा के विकास और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में सोचना बेमानी होगा। वर्तमान समय में, राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए तो प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु उपरोक्त अन्य संसाधनों का विकास अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। इस लेख के माध्यम से 09 नवंबर, 2000 से (राज्य निर्माण के बाद) उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास, उच्च शिक्षा के विकास में आने वाली समस्याओं तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के सुधार हेतु विषम भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक सुझावों की विस्तृत चर्चा की गई है।

शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का मूल साधन होती है। मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार के कौशल का विकास तथा किसी भी प्रकार की क्षमता का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के बाद शुरू होने वाली शिक्षा है। माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद बच्चे अपनी रुचि, रुझान व योग्यता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उच्च शिक्षा का व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्तमान समय में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न देशव्यापी कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के प्रसार एवं उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन

**विभागाध्यक्ष*, देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ़ प्रोफ़ेशनल एजुकेशन, लालपुर, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड– 263148

के बाद तीसरे नंबर पर है, परंतु गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। द *टाइम्स हाइयर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स* (2013) के अनुसार, अमेरिका का 'कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी' शीर्ष पर है। जबकि भारत के पंजाब विश्वविद्यालय का स्थान विश्व में 226वाँ है।

उच्च शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे— धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि, अध्यापन, संगठन, प्रशासन आदि के लिए विशेषज्ञ एवं योग्य नागरिक तैयार किए जाते हैं तथा उच्चतम श्रेणी के मानव संसाधनों का विकास किया जाता है। उच्च संसाधनों के विकास से ही बेरोज़गारी, निर्धनता, अज्ञानता आदि समस्याओं का उन्मूलन कर व्यक्ति को कुशल व श्रेष्ठ नागरिक तथा समाज को विकासपरक बनाया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में विकास करने के लिए मुख्यत: दो मूलभूत संसाधनों की आवश्यकता होती है। पहला, प्राकृतिक संसाधन व दूसरा, मानव संसाधन। उच्च शिक्षा की सहायता से ही उच्च स्तर के मानव संसाधनों का विकास किया जा सकता है। जिस राष्ट्र में उच्च स्तरीय मानव संसाधनों की जितनी अधिक उपलब्धता होती है, वह उतनी ही अधिक तेज़ी से विकास के मार्ग पर अग्रसर होता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास औद्योगिकीकरण पर निर्भर करता है और औद्योगिकीकरण वैज्ञानिक उपलब्धियों, तकनीशियनों, इंजीनियरों तथा कुशल प्रशासकों पर निर्भर करता है। इन सबका निर्माण व विकास उच्च शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के चहुँमुखी एवं सर्वांगीण विकास का मूल साधन होती है। किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था का विकास किस स्तर तक हुआ है तथा यह कितना उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है, इसका मूल्यांकन मुख्यतः तीन मापदण्डों के आधार पर किया जाता है— प्रथम, देश में उच्च शिक्षा तक कितने युवाओं की पहुँच है? द्वितीय, क्या उच्च शिक्षा न्यायसंगत तथा व्यावहारिक है? तृतीय, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता किस स्तर की है? यह निस्संदेह चिंता का विषय है कि हमारे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था तीनों में विफल साबित हुई है। आज वास्तविक स्थिति यह है कि स्नातक तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा पूर्ण करने के बाद भी युवा रोज़गार तथा आजीविका अर्जित करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे वे समाज में भी यथोचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उच्च शिक्षा के द्वारा ही लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक मुद्दों से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता है। यह विशेष ज्ञान तथा विभिन्न कौशलों का विकास कर राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा के बिना मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने तथा प्रसार करने का भरपूर प्रयास भी किया जा रहा है, परंतु उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के विकास में अभी भी कई बाधाएँ उपस्थित हैं। उच्च शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तायुक्त शिक्षा अभी भी दिवास्वप्न के रूप में बनी हुई है। हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी अनेक जटिलताएँ व्याप्त हैं। उच्च शिक्षा का प्रसार, उद्देश्यों की स्पष्टता, अद्यतन एवं विस्तृत पाठ्यक्रम,

पाठ्यक्रम का माध्यम जैसी कई समस्याओं के निदान के लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं, जिनमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है, परंतु उच्च शिक्षा का निजीकरण, उच्च शिक्षा का उन्नयन, उच्च शिक्षा के स्तर पर अनुशासनहीनता, विद्यार्थियों में आक्रोश व असंतोष तथा मूल्यांकन व परीक्षा पद्धति में सुधार जैसी समस्याओं का निदान किया जाना शेष है। इन समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन तथा इस व्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों की ईमानदारी तथा कर्त्तव्यनिष्ठा का होना आवश्यक है। भारत में उच्च शिक्षा में रजिस्ट्रेशन 11 प्रतिशत है अर्थात् स्कूल की पढ़ाई करने वाले नौ बच्चों में से सिर्फ़ एक ही बच्चा कॉलेज की पढ़ाई कर पाता है। ये तथ्य एवं आँकड़े हमारे देश की उच्च शिक्षा की वास्तविक तस्वीर को बयाँ करते हैं। अमेरिका में स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में से 86 प्रतिशत बच्चे उच्च शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं।

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की स्थिति

उत्तराखण्ड प्रदेश का अधिकांश भाग पहाड़ी होने तथा यहाँ पर विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ होने के कारण उच्च शिक्षा की स्थिति अभी भी दयनीय है। 09 नवंबर, 2000 में हुए राज्य गठन के बाद राजनीतिक कारणों से यहाँ उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना पर तो काफ़ी ज़ोर दिया गया, परंतु इन संस्थानों में आवश्यक सुविधाओं, संसाधनों के विकास तथा गुणवत्तापरक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहाड़ी क्षेत्रों के महाविद्यालयों में संसाधनों तथा शिक्षकों के अभाव के कारण विद्यार्थी संख्या में भी काफ़ी कमी रहती है। कोई भी प्राचार्य, शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी पहाड़ों में नहीं जाना चाहता है। सरकार द्वारा लाख कोशिश करने तथा सुगम-दुर्गम की अनिवार्यता के बाद भी राजनैतिक पहुँच के सहारे ये शिक्षक तथा कर्मचारी, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर तथा हल्द्वानी जैसे मैदानी क्षेत्रों में ही डटे रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएँ उपलब्ध न होना भी पलायन का मुख्य कारण है। परंतु 09 नवंबर, 2000 में हुए राज्य गठन के 18 वर्ष बाद भी इस विषय में किसी ने भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इस विषय के बारे में राजनैतिक दलों तथा सरकार में शामिल ज़िम्मेदार लोगों को वोट बैंक की राजनीति को छोड़ते हुए मज़बूत इच्छाशक्ति के साथ चिंतन करना होगा। तभी हम समस्याओं का समाधान करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। प्रदेश की उच्च शिक्षा की स्थिति निरंतर कमज़ोर होती जा रही है। राज्य सरकार लंबे समय से विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में न तो स्थायी शिक्षक व कर्मिकों की व्यवस्था कर पा रही है और ना ही आवश्यक संसाधनों को विकसित करने में सफल हुई है। भारत सरकार द्वारा महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन हेतु 1994 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन (मान्यता) परिषद् (एन.ए.ए.सी.) की स्थापना की गई। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् का मुख्य उद्देश्य भारत में स्व-मूल्यांकन एवं बाहरी मूल्यांकन के सामंजस्य के ज़रिए उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और विशिष्टताओं की जाँच करना है। प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तायुक्त

उच्च शिक्षा प्रदान करने एवं विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रदान की जा रही शिक्षा उच्च कोटि की हो, इसके लिए सरकार द्वारा महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता निर्धारण करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 29 सितंबर, 2015 को 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ रैंकिंग फ्रेमवर्क' की स्थापना की गई। यह अपने मानकों के आधार पर विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को वरीयता प्रदान करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार उत्तराखण्ड के सिर्फ़ दो संस्थान, आई.आई.टी. रुड़की और आई.आई.एम. काशीपुर को छोड़कर कोई भी संस्थान टॉप 100 में अपना स्थान नहीं बना पाया है। इससे उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की वास्तविकता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके साथ-साथ सरकार तथा विभाग द्वारा विभिन्न देशव्यापी कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, फिर भी ये प्रयास गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा के विकास व प्रसार के लिए नाकाफ़ी सिद्ध हो रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य गठन के बाद प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। राज्य गठन से पूर्व प्रदेश में विविध श्रेणियों के छह विश्वविद्यालय—कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, एफ़.आर.आई. विश्वविद्यालय तथा आई.आई.टी. रुड़की संचालित थे। वर्तमान समय में राज्य द्वारा संचालित उच्च संस्थानों की जानकारी तालिका 1 में दी गई है।

उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर प्रदेश में कुल 100 महाविद्यालयों में से केवल 30 महाविद्यालयों को ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा ग्रेडिंग प्रदान की गई है, जिसे तालिका 2 में दिया गया है। जिसमें से केवल एक महाविद्यालय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली) को 'A ग्रेड' प्रदान किया गया है। अन्य महाविद्यालयों को B++, B+, B, C++ ग्रेड प्रदान किए गए हैं। अतः राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् के मानकों में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर (चमोली) के अलावा कोई भी महाविद्यालय खरा नहीं उतर पाया है। प्रदेश की उच्च शिक्षा पूर्ण रूप से राजकीय महाविद्यालयों पर ही निर्भर है। तालिका 3 के अनुसार राज्य में स्थित कुल 100 महाविद्यालयों में केवल 55 महाविद्यालयों के पास ही भवन व भूमि उपलब्ध है। 19 महाविद्यालयों में भवन निर्माणाधीन हैं, 12 महाविद्यालयों के पास केवल भूमि उपलब्ध है, 14

तालिका 1— वर्गवार विश्वविद्यालयों की संख्या

केंद्रीय विवि.	राज्य विवि.	निजी विवि.	डीम्ड विवि.	कृषि विवि.	आई.आई.टी.	आई.आई.एम.	संस्कृत अकादमी	कुल
01	09	11	04	01	01	01	1	29

स्रोत—उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड), 2017–18

तालिका 2 — उत्तराखण्ड के महाविद्यालयों में (NAAC) द्वारा ग्रेडिंग की स्थिति

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	(NAAC) ग्रेडिंग
1.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर (चमोली)	A
2.	राजकीय डिग्री कॉलेज, तलवाड़ी (चमोली)	B
3.	एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)	B+
4.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल)	B+
5.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोटद्वार (पौड़ी)	C++
6.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेरीनाग (पिथौरागढ़)	B+
7.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रानीखेत (अल्मोड़ा)	B
8.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)	B
9.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी	B+
10.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश	B
11.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़	B+
12.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बागेश्वर	B
13.	एच.एन.बी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खटीमा (उधम सिंह नगर)	C
14.	एस.वी.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लोहाघाट (चम्पावत)	C++
15.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहरीखाल (पौड़ी गढ़वाल)	C++
16.	डी.एस.बी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून	B+
17.	आर.एच.राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर (उधम सिंह नगर)	B
18.	एम.के.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून	B++
19.	चिन्मय डिग्री कॉलेज, हरिद्वार	B
20.	कन्हैयालाल.डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रुड़की	B
21.	एस.एम.जे.एन. डिग्री कॉलेज, हरिद्वार	B
22.	डी.ए.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देहरादून	B
23.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)	B
24.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, न्यू टिहरी	B
25.	राजकीय डिग्री कॉलेज, सियालदाह (अल्मोड़ा)	C
26.	राजकीय डिग्री कॉलेज, मनीला (अल्मोड़ा)	B
27.	राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, हल्द्वानी (नैनीताल)	B
28.	श्री गुरु राम राय कॉलेज, देहरादून	B
29.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर (देहरादून)	B++
30.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग)	B

स्रोत—उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड), 2017–18

महाविद्यालय ऐसे हैं जिनके पास न भवन उपलब्ध है और न ही भूमि उपलब्ध है। ये या तो किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं या किसी इंटर कॉलेज व अन्य सरकारी भवनों के एक दो कमरों में संचालित हो रहे हैं। राज्य के महाविद्यालयों में विद्यार्थी संख्या काफ़ी है। राज्य गठन के बाद राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में पाँच गुना वृद्धि हुई है। राज्य में उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात 3.10 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय नामांकन अनुपात 1.90 प्रतिशत से अधिक है, परंतु गुणवत्ता में तस्वीर इसके विपरीत है।

तालिका 4 के अनुसार उत्तराखण्ड प्रदेश में प्राचार्यों, शिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों की स्थायी नियुक्ति प्रदान करने में भी राज्य उदासीन रहा है। स्नातकोत्तर प्राचार्यों के स्वीकृत 28 पदों के सापेक्ष 15 कार्यरत तथा 13 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार स्नातक प्राचार्यों के 30, प्रवक्ता के 981, पुस्तकालयाध्यक्ष के 25 तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के 68 पद रिक्त हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रदेश में महाविद्यालय कामचलाऊ व्यवस्था के आधार पर ही संचालित हो रहे हैं।

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की समस्याएँ

उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य तथा विभाग द्वारा निरंतर विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा की सुलभता तथा गुणवत्ता में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है, परंतु राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों, शिक्षकों की कमी, भौतिक संसाधनों की कमी, जागरूकता का अभाव तथा विभिन्न सरकारों एवं विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों में दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव के कारण उच्च शिक्षा की

तालिका 3 — राजकीय महाविद्यालयों में भवन एवं भूमि की स्थिति

कुल महाविद्यालय	भूमि तथा भवन उपलब्ध महाविद्यालय	भवन निर्माणाधीन महाविद्यालय	भवनहीन महाविद्यालय	भूमिहीन महाविद्यालय
100	55	19	12	14

स्रोत—उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड), 2017–18

तालिका 4 — राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों का विवरण

क्र.स	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	संविदा
1.	प्राचार्य स्नातकोत्तर	28	15	13	—
2.	प्राचार्य स्नातक	71	41	30	—
3.	प्रवक्ता	2071	1090	981	376
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष	25	0	25	—
5.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	70	02	68	—

स्रोत—उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (उत्तराखण्ड), 2017–18

गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार संभव नहीं हो पा रहा है। राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के विकास में निम्नलिखित कारण बाधक हो सकते हैं—

- राज्य निर्माण के बाद प्रदेश में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सरकारों द्वारा महाविद्यालयों की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन उनमें भौतिक एवं मानव संसाधनों की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
- राज्य का अधिकतम भाग पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में विकास स्तर निम्न होने से वहाँ पर जीवनयापन भी कठिन होता है, जिसके कारण कोई अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक वहाँ पर नौकरी करना नहीं चाहता है। सुगम-दुर्गम की अनिवार्यता के बाद भी अधिकतर शिक्षक व कर्मचारी राजनीतिक पहुँच के द्वारा अपना स्थानांतरण सुविधा संपन्न मैदानी क्षेत्रों में करा लेते हैं। महाविद्यालयों में शिक्षकों की सुचारु व्यवस्था न होने से विद्यार्थी भी वहाँ पर अध्ययन करने के इच्छुक नहीं रहते हैं। जो विद्यार्थी अध्ययन के लिए बाहर नहीं जा सकते, मजबूरन वही विद्यार्थी इन महाविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं।
- सरकार व विभाग द्वारा संसाधनों का समान वितरण नहीं किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोज़गार जैसे साधनों का विकास न होने से लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर स्थित उच्च शिक्षण संस्थान भी घोर उपेक्षा के शिकार होते हैं।
- दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अन्य शैक्षिक संसाधनों का विकास न होने से वहाँ पर गुणवत्तापरक शिक्षा का विकास संभव नहीं हो पाता है। इन महाविद्यालयों में केवल गरीब, मज़दूर तथा महिलाएँ ही प्रवेश लेते हैं। इन महाविद्यालयों में शिक्षा केवल डिग्री प्राप्ति करने तक ही सीमित रह जाती है।
- दूरस्थ तथा पर्वतीय क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों तक सड़क व संचार की उचित व्यवस्था न होने से इन महाविद्यालयों में उचित तथा निरंतर रूप से निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन कार्य करना संभव नहीं होता है। जिस कारण इनमें महत्वाकांक्षी योजनाओं का उचित रूप से संचालन नहीं हो पाता है।
- राज्य में कई महाविद्यालयों के पास भवन भी नहीं हैं तथा कई महाविद्यालयों के पास शौचालय, खेल के लिए मैदान, वाचनालय तथा अन्य संसाधन नहीं हैं। ये महाविद्यालय किराये के भवन में तथा इंटर कॉलेज के एक-दो कमरों में संचालित हो रहे हैं। शिक्षण के नाम पर इन महाविद्यालयों में केवल औपचारिकताएँ ही पूर्ण की जाती हैं।
- राज्य के दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी रहती है। इन महाविद्यालयों में या तो संविदा शिक्षक या नवनियुक्त शिक्षक ही शिक्षण कार्य करने को मजबूर होते हैं।
- राज्य में उच्च शिक्षा में शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा व स्थानांतरण नियमावली, नीतियों तथा योजनाओं का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। ऊँची पहुँच वाले कर्मचारियों की पहुँच उच्च अधिकारियों या नेताओं से होती है, वे अपनी सुविधानुसार एक स्थान पर या विभागों

में लंबी अवधि तक कार्यरत रहते हैं तथा दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं। कई विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षण कार्य को छोड़कर कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय प्रभारी जैसे कई अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होते हैं।

- शिक्षण व्यवसाय प्रतिष्ठित एवं सेवाभाव का कार्य है। जब तक शिक्षक, शिक्षण कार्य को पूर्ण निष्ठा तथा सेवाभाव से नहीं करेंगे, तब तक शिक्षण कार्य प्रभावी, रुचिकर तथा गुणवत्तापूर्ण नहीं हो सकता है।
- पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र के महाविद्यालयों में कोई भी शिक्षक व कर्मचारी, स्वेच्छा से अपनी सेवाएँ देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, चाहे वे वहीं के स्थायी निवासी ही क्यों न हों। शिक्षक व कर्मचारी प्रकारेण शहरी व सुविधाजनक क्षेत्रों में ही नौकरी करना चाहते हैं।

सुझाव

राज्य गठन के बाद उत्तराखण्ड में शिक्षा के प्रसार के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, जिसमें आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई है, परंतु गुणवत्ता के क्षेत्र में अभी भी स्थिति निराशाजनक है। उच्च शिक्षा में मात्रात्मक वृद्धि के साथ-साथ गुणात्मक सुधार भी आवश्यक है। जब तक देश व प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की पहल नहीं की जाएगी, तब तक व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं होगा। राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव अहम हो सकते हैं—

- यशपाल समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर देश की शिक्षा से संबंधित नियामक संस्थाओं को समाप्त कर संपूर्ण देश के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षा के लिए संपूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे संपूर्ण देश के लिए एक समान शिक्षा नीति तथा उद्देश्यों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा करने से कम समय व कम लागत में अधिक उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों में केंद्र व राज्य सरकारों का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इन विश्वविद्यालयों को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करने के पूर्ण अवसर दिए जाने चाहिए।
- विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता तथा बिना अनावश्यक हस्तक्षेप के संपन्न किया जाना चाहिए। ताकि कुलपतियों की नियुक्ति प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ शैक्षणिक निष्पत्ति एवं नेतृत्व क्षमता के आधार पर की जा सके।
- उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी रुचि, रुझान तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके शैक्षिक तथा शोध, क्षमता के पक्ष का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे उच्च शिक्षा में शिक्षण व शोध, दोनों को बढ़ावा दिया जा सके।
- उत्तराखण्ड प्रदेश में सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में जिस भी स्थान पर महाविद्यालय खोले जाने हैं,

उनमें भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, भवन, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, पर्याप्त शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी तथा खेल मैदान की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

- उच्च शिक्षा में नीतियों तथा कार्य योजनाओं का पालन दृढ़ता व सख्ती से किए जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- राज्य में उच्च शिक्षा में सेवा नियमावली, स्थानांतरण, सुगम-दुर्गम का पालन पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षा में शिक्षण के प्रति शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। शिक्षकों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर, उन्हें प्राप्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त किसी अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए।
- शिक्षकों के लिए नियमित सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह प्रशिक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केंद्रों पर आयोजित किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षण में नवाचार, शिक्षण तकनीकी का विकास तथा शोध के विकास व प्रसार पर बल दिया जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षा में सभी स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमित शिक्षक व कार्मिकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जिससे शिक्षण कार्य को प्रभावी, रुचिकर व गुणवत्तापरक बनाया जा सके।
- निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ताकि निजी विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के सभी मानकों का पालन कर सकें। जो विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय उच्च शिक्षा के मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता तत्काल रद्द कर दी जानी चाहिए।
- उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए, जिससे योग्य संस्थानों को ही वित्तीय सहायता एवं मान्यता प्रदान की जा सके।
- उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए अर्थात् इसे अद्यतन बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप तथा व्यावहारिक होना चाहिए।
- पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के विकास, प्रसार तथा गुणवत्ता संवर्द्धन के लिए सड़क, स्वास्थ्य तथा संचार जैसी सुविधाओं का भी समुचित विकास करना होगा, जिससे महाविद्यालयों में समुचित संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की वृद्धि के लिए शिक्षकों में दृढ़ इच्छाशक्ति तथा सेवाभाव की भावना के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का विकास किया जाना आवश्यक है।

उच्च शिक्षा समाज व राष्ट्र के विकास का मूल आधार होती है। शिक्षा की सहायता से ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। उत्तराखण्ड राज्य में उच्च शिक्षा की तस्वीर चिंताजनक है। राज्य के विश्वविद्यालय

एवं महाविद्यालय उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हर वर्ष लाखों की संख्या में विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। इनमें से केवल 11.55 प्रतिशत विद्यार्थी ही स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश ले पाते हैं। स्नातकोत्तर करने के बाद 0.78 प्रतिशत विद्यार्थी पी.एच.डी में तथा 0.01 प्रतिशत विद्यार्थी एम.फ़िल में प्रवेश लेते हैं। वास्तव में, देखा जाए तो उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, केवल आवश्यकता है उनको उपयुक्त वातावरण तथा समुचित सुविधाएँ प्रदान करने की। इस विषय में समाज के शिक्षित, जागरूक तथा ज़िम्मेदार लोगों को दृढ़ संकल्प होने के साथ आत्म-चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि उच्च शिक्षा के प्रसार तथा गुणवत्ता के बिना हम विकसित समाज तथा विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। जब तक युवाओं की शक्ति, क्षमता तथा योग्यता का उचित विदोहन नहीं किया जाएगा, तब तक विकास की बात करना बेमानी ही होगा। आज के युग में ऐसी उच्च शिक्षा की आवश्यकता है जिससे व्यक्ति आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बन सके तथा समाज में अपना योगदान दे सके। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में विवेक शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सामाजिक कुशलता का विकास, नैतिक व चारित्रिक विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास, जीविकोपार्जन का विकास तथा राष्ट्र प्रेम की भावना आदि का विकास करना उच्च शिक्षा पर ही आधारित है। उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा की पहुँच व गुणवत्ता के विकास के लिए निश्चित रूप से गहन चिंतन कर उसमें त्वरित व आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम राज्य के उच्च शिक्षा केंद्रों को साधन एवं सुविधा संपन्न बनाना होगा जिससे बच्चों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण का सृजन हो सके। ऐसा प्रयास किया जाना समीचीन होगा, क्योंकि राष्ट्र तथा समाज का भविष्य इन्हीं युवाओं के कंधों पर है।

संदर्भ

उच्च शिक्षा निदेशालय. 2018. *वार्षिक रिपोर्ट—2017–18.* उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड.

द टाइम्स हाइयर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, 2013.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 1993. *यशपाल समिति की रिपोर्ट– शिक्षा बिना बोझ के*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 2015. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, 2015. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन (मान्यता) परिषद्. 1994.

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. http:mhrd.gov.in/ से लिया गया है.